# भारत के संविधान निर्माण और डॉ0 अम्बेडकर

**सुजीत कुमार 'राज'***

आधुनिक युग में न्याय की स्थापना के लिए देश के जिन लोगों ने कार्य किया उनमें डॉ0 भीमराव अम्वेडकर अग्रणी हैं। एक न्यायपूर्ण समाज की रचना के लिए उन्होंने जो कार्य किया वह वेमिशाल है। यद्यपि उन्हें अध्यवसायी, लेखक, प्रखर वक्ता, समाज–वैज्ञानिक, शिक्षाशास्त्री, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक आदि अनेक रूपों में जाना जाता है तथापि उनकी सही पहचान सामाजिक न्याय पर आधारित आधुनिक भारत के संविधान निर्माता के रूप में बड़े वर्ग से लिया जाता है। वे सदियों से वंचित एवं उपेक्षित अनुसूचित जातियों के नेता ही नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पी थें।[1]

डॉ0 अम्बेडकर की अपने समय के अन्य विचारकों से निराली विशेषता यह रही थी कि उन्होंने भारत की सबसे दलित, पीड़ित और पिछड़ी जातियों की लड़ाई लड़ी थी। उन्होने हिन्दुओं और मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों से लड़ी जा रही राजनैतिक सत्ता की लड़ाई को अछूतों के स्वतंत्रता संग्राम से भिन्न रखते हुए लिखा था–''भारत की आजादी की इस जद्दोजहद में यदि स्वतंत्रता का कोई हेतु बनता है तो वह अछुतों का हेतु है। हिन्दुओं का केस और मुसलमानों का केस वे स्वतंत्रता के लिए नहीं हैं। उनके संघर्ष स्वतन्त्रता से भिन्न सत्ता के लिए है।''[2] इस प्रकार, जब हिन्दुओं और मुसलमानों का अंग्रेजो से राजनैतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए संघर्ष चल रहा था तो डॉ0 अम्बेडकर ने तीन हजार वर्ष से भारत की कमजोरी और लुटी–पिटी जातियों की चहूँमुखी स्वतंत्रता का ऐतिहासिक युद्ध चलाया था। दरअसल में संविधान परिषद् के गठन के बाद कांग्रेस के शिखर–नेताओं में इस बात की चिन्ता धर कर गई थी कि आखिरकार संविधान निर्माण कार्य कैसे सम्पन्न किया जाए। जवाहर लाल नेहरू का पहले विचार था कि प्रसिद्ध संविधान–विशेषज्ञ सर आइवर जेनिंग्स की सेवाएँ ली जाए जो एशिया के कई देशों का संविधान लिख चुके थें। परन्तु, महात्मा गाँधी ने यह सलाह दी कि वे ऐसे संविधान विशेषज्ञ को जानते है जो भारत में मौजूद हैं और वह व्यक्ति हैं डॉ0 अम्बेडकर जो गोलमेज सम्मेलन में अपनी प्रतिभा का परिचय दे चुका है। इस प्रकार डॉ0 अम्बेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुने जाने की पृष्ठभूमि तैयार हुई।

***शोध छात्र' इतिहास विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।**



कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर मूलभूत अधिकारों और अल्पसंख्यकों आदि के विषय में सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति गठित हुई थी जिसके डॉ0 अम्बेडकर सदस्य थें। इस समिति की चार उप–समितियाँ भी थीं जिनमें मूलभूत अधिकारों की उपसमिति में भी डॉ0 अम्बेडकर सदस्य थे। धीरे–धीरे संविधान सभा का कार्य बढ़ा। इसने तीन अन्य समितियाँ गठित की। नेहरू की अध्यक्षता में 'युनियन पावर कमेटी' तथा 'यूनियन कंस्टीच्यूशन समिति' गठित हुई। डॉ0 अंबेडकर 'स्टीयरिंग कमिटि' और 'नेशनल फ्लेग कमिटि' के भी सदस्य बन चुके थें। डॉ0 अंबेडकर के सुझाव पर ही राष्ट्रीय ध्वज में अशोज चक्र और सारनाथ का अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत हुआ।

30 जून 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने बंबई के तत्कालीन मुख्यमंत्री बी0जी0 खेर को पत्र लिखा कि संविधान सभा के लिए डॉ0 अंबेडकर को निर्वाचित कराएँ ताकि 14 जून 1947 से शुरूहोने वाले अधिवेशन में वे निर्वाचित होकर संविधान संरचना में योगदान दे सकें। तत्पश्चात् 30 अगस्त, 1947 को डॉ0 अंबेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया जिसमें सात सदस्य थें– एन0 गोपाला स्वामी आयंगर, सर अल्लादी कष्णास्वामी अय्यर के0एम0मुंशी, सर मुहम्मद शाहदुल्ला, एन0 माधव मेनन, डी0पी0 खेतान और बी0एन0 राव (संवैधानिक सलाहकार)।

सचमुच यह दलित इतिहास का स्वर्णिम काल था। डॉ0 अंबेडकर संविधान सभा और संविधान संरचना से इसलिए जुड़े कि वे अनुसूचित जातियों के हितों को सुरक्षित करना चाहते थें। दलित नेता के लिए वैसे भी यह एक गौरव का विषय था।

डॉ0 अंबेडकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अपने समाज के प्रति नीतियों के सतत विरोधी एवं अथक आलोचक थे। ऐसेम्बली के उद्घाटन अधिवेशन में वे कुछेक ऐसे सदस्यों में से थे जिन्होंने नेहरू के उद्धेश्य प्रस्तावों का विरोध किया। परन्तु जब देश विभाजन के साथ देश की परिस्थितियाँ बदलने लगीं। तो अंबेडकर को अहसाय हुआ कि उन लोगों सेविगाड़ने में कोई लाभ नहीं जिनके हाथ में सत्ता आ रही है। कांग्रेस ने भी उस समय उदारता दिखाई और उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया। अंबेडकर ने भी सामंजस्य करते हुए अपनी नीति बदल डाली। पहले कांग्रेस का कदम–कदम पर विरोध किया करते थे। अब उन्होंने इससे सहयोग करना ठीक समझा।

23 दिसम्बर, 1946 को जयकर द्वारा प्रस्तुत उद्धेश्य प्रस्ताव का अंबेडकर ने समर्थन किया, परन्तु उन्होंने इसे स्थगित रखने का सुझाव दिया ताकि मुस्लिम लीग और रजवाड़ों सहयोग भी लिया जा सके। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव सभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रस्ताव गलत, गैर

कानूनी, अपरिपक्व और भयंकर है। लेकिन उन्होंने उद्योगों और जमीन के राष्ट्रीयकरण की माँग की।[3]

डॉ0 अम्बेडकर ने कहा कि वस्तुतः संविधान भारतीय जनता का प्रतिनिधि है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रभुसत्ता ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता की अनुचरी नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट है कि उसे शक्ति कहाँ से मिली है और किन उद्धेश्यों की उसे पूर्ति करनी है। उन्होंने संधीय शासन का समर्थन किया। उनका दृष्टिकोण यह था कि सामान्य परिस्थितियों में तो भारत संघीय लोकतंत्र है किंतु आपात स्थिति में इसका रूप एकात्मक सरकार के रूप में बदल सकता है। उन्होंने दृढ़ केन्द्रीय सरकार की वकालत की।

अंबेडकर के अनुसार संविधान प्रदत्त सभी अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार यह है कि हर नागरिक को समाज अवसर प्रदान किए गए हैं। संविधान संशोधन के अनुच्छेद को उन्होंने इसकी आत्मा और हृदय बताया। नीति निर्देशक सिद्धांत राजनीतिक प्रजातंत्र के साथ–साथ सामाजिक और आर्थिक के स्तम्भ हैं जिन्हें लिखित संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के जरिए प्राप्त किया गया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत ही उसकी जान है। मूल अधिकारों को उनका अनुगामी होना चाहिए। उन्होंने इंग्लैण्ड की तरह मंत्रिपरिषदीय शासन व्यवस्था को ठीक समझा। अलेरिका की राष्ट्रपति प्रधान शासन व्यवस्था की अपेक्षा इसे अधिक अच्छा समझा गया।

हमारे संविधान में संसार के आधुनिक संविधानों के नवीनतम गुण समाए हुए हैं, जिनमें राष्ट्रीयता, केन्द्रीकरण, सुदृढ़ कार्यपालिका धर्म निरपेक्षता और कल्याणकारी सरकार के तत्व समाविष्ट हैं। इसमें न केवल शासन तंत्र की व्यवस्था है अपितु सुनियोजित सामाजिक परिवर्तनों की भी पूरी गुंजायश है। इसका उद्धेश्य राजनैतिक लोकतंत्र में आर्थिक और समाजिक लोकतंत्र को समाविष्ट करना है।

अंबेडकर का कहना है कि कार्यपालिका को विधायिका के साथ मिलकर चलना चाहिए। अंब्रडकर ने कहा कि हमारे संविधान के सिद्धान्त यदि सर्वोत्कृष्ट नहीं है तो दुनियाँ के किसी भी संविधान से यह घटकर भी नहीं है उनका विचार था, कोई संविधान अपने में कैसा ही हो, उसकी अच्छाई–बुराई इसपर निर्भर करती है कि उसको चलाने वाले लोग कैसे हैं। राज्य सभा में उन्होंने अपने भाषण में कहा था ''हमारे संविधान के रूप में एक अश्चर्यजनक देव मंदिर बनाया, लेकिन देवताओं की प्रतिष्ठा से पूर्व ही इसे दानवों ने हथिया लिया।''[4]

केन्द्र सरकार को ने केवल कानून बनाने का अधिकार दिया गया है बल्कि उन्हें लागू कराने की शक्तियाँ भी उसके हाथ में है।



संविधान सरकार की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक दिशा के निर्देशन का श्रोत है। वह समाज के लिए आर्थिक व्यवस्था का भी निर्धारण करता है। यानी संविधान यह निर्धारित करता है कि उत्पादन साधनों के स्वामित्व तथा प्रबंध का क्या स्वरूप हो और समाज में आय का वितरण किस प्रकार किया जाय। सोवियत संघ के संविधान ने इस संबंध में एक नई दिशा प्रदान की है। इसमें उस देश की राजनीतिक ढ़ाँचे की व्यवस्था है, और साथ ही आर्थिक ढ़ाँचा भी नियत कर दिया गया है अंबेडकर ने कहा कि सिमाज के आर्थिक स्वरूप का निर्धारण कर देना वैयक्तिक स्वतंत्रता पर आघात है। लेकिन आगे उन्होंने यह भी कहा कि वैयक्तिक स्वतंत्रता के संरक्षण का तकाजा है कि संविधान समाज के आर्थिक स्वरूप का निर्धारण करे।

उनका विचार था कि राजनैतिक स्वतंत्रता के चार स्तम्भ है : (1) व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है, (2) व्यक्ति के कुछ अहरणीय अधिकार हैं जिन्हें संवैधानिक गारंटी मिलना चाहिए, (3) किसी व्यक्ति को विशेष सुख–सुविधाएँ प्राप्त करने की लालच में अपने संवैधानिक अधिकारों का परित्याग नहीं करना चाहिए और (4) सरकार को व्यक्तिगत आधार पर किसी इंसान को अन्य व्यक्ति को नियंत्रितरखने का अधिकार नहीं सौपना चाहिए। बेरोजगारों को काम और जीने का मूल अधिकार त्यागने को विवश होना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के नियंत्रण से आ जाती हैं उन्होंने कहा कि मूल अधिकारों की पूर्ति बहुमत की कृपा पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। अंबंडकर का विचार था मजदूरों को छूट और असमानता मिलनी जरूरी है और इनके संतुलन के लिए एक संविधान हो। वे समाजवाद को प्राथमिकता देते थे। उनकी टिप्पणी यह थी कि भारत के श्रमिकों को यह जोर देना चाहिए कि भारतीय संविधान एक राजनैतिक साधन होने के साथ–साथ आर्थिक विकास का भी श्रोता हो।[5]

अंबेडकर संगठित पार्टी का महत्व स्वीकार करते थें। उन्होंने कहा ''यह कॉग्रेस पार्टी के अनुशासन को ही श्रेय जाता है कि प्रारूप समिति सदन में संविधान विधेयक का संचालन कर पाई। पार्टी की इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए कि सदन के प्रारूप समिति को कोई कठिनाई नहीं हुई।[6] धाराओं को पारित करने और संशोधन उपस्थिति करते समय श्री वी0 शिवाराव ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने बहुमत के बूते पर कभी कोई प्रावधान शामिल कराने या निकलवाने का प्रयत्न नहीं किया। अंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकता पर विशेष बल दिया।

कुल मिलाकर, उनके भाषणों में दृढ़ता और स्पष्टता की झलक हमेशा मिली। मुद्दों–सुदृढ़ केन्द्र और मूल अधिकारों का स्थान पर उनका समर्थन बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ।[7]

4 नवंबर, 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने डॉ0 अंबेडकर द्वारा तयार किए गए स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रारूप पर बहस के लिए उन्हें एक बिल प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। डॉ0 अम्बेडकर ने अपने भाषण में संविधान दर्शन पर अनेक गंभीर और मौलिक प्रश्न उठाए। विश्व के संघीय और एकात्मक संविधानों से भारतीय संविधान की तुलना करते हुए समानताओं का असमानताओं पर भरपूर प्रकाश डाला। मौलिक अधिकार, पंचायत प्रणाली और अनुसूचित जातियों के हित संरक्षण के प्रावधान बहुत प्रभावशाली थे जिसमें भारत के करोड़ों लोगों के जीवन में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और नया जीवन जीने के प्रेरक तत्व निहित थे।

निश्चित तौर पर डॉ0 अंबेडकर ने आजाद भारत के संविधान की रचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने स्वास्थ की चिन्ता किये वगैर उन्होंने अथक मेहनत की[8] 24 नवम्बर, 1949 को तीसरे वाचन के उपरान्त संविधान के स्वीकार होने के अवसर पर बाबा साहब ने कहा कि ''जो हमे करना आवश्यक है वह यह है कि हमें सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्रसे ही संतुष्ट होकर नहीं रह जाना चाहिए। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। जब तक राजनीतिक लोकतंत्र की बुनियाद में सामाजिक लोकतंत्र स्थिर और टिकाउ नहीं हो सकती। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एक ऐसा जीवन जीने का ढ़ंग जो जीवन के आधारभूत सिद्धान्तों के रूप में स्वतंत्रता, समानता और बंधुताको स्वीकार करता हो। ये वास्तव में संयुक्त सरूप से मिलकर एक एकीकृत त्रयी का निर्माण करते हैं, इस अर्थ में कि एक दूसरे से पृथक करना लोकतंत्र के ही उद्धेश्य को पराजित करना हो जाता है। स्वतंत्रता को समानता से पृथक नहीं किया जा सकता। न समानता को स्वतंत्रता से पृथक किया जा सकता। न स्वतंत्रता और समानता को ही बन्धुता से पृथक किया जा सकता है। समानता के बिना स्वतंत्रता बहुजनों पर अल्पजनों की प्रभुता उत्पन्न करेगी और स्वतंत्रता के बिना समानता वैयक्तिक पहल को नष्ट कर देगी।

हमें इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए ही अपनी शुरूआत करनी चाहिए कि भारतीय समाज में दो चीजों का घोर अभाव है। उसमें से एक चीज है समानता का आभाव। सामाजिक धरातल पर भारत में हमारे यहाँ एक ऐसा समाज है जिसमें एक ओर जहाँ बेशुमार लोगों की जिन्दगी की गुजर–बसर गरीबी और कंगाली में जैसे–तैसे होती है जिनकी मुट्ठी में अकूत दौलत कैद है।

26 जनवरी, 1950 को हम अन्तरविरोधों या विसंगतियों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में तो हम समानता स्थापित करेंगे लेकिन सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में हम असमानता ही बनाए रखेंगे। राजनीति में हम 'एक व्यक्ति, एक



वोट और एक मूल्य' के सिद्धान्त को नकारते रहेंगे। हम आखिर कब तक जीवन के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानताको नकारते रहेंगे? अगर हम इसे बहुत लम्बे अरसे तक डालते और नकारते रहे तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्रको संकट में डालकर ही ऐसा कर सकेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उतना ही जल्दी हम इस अन्तर्विरोध को तत्काल दूर कर दें, वरना जो लोग इन समानताओं से पीड़ित हैं वे लोग राजनीतिक लोकतंत्र के उस ढ़ांचे को ही उखाड़ कर फेंक देंगे जिसको इस संविधान सभा ने बड़ी लगन और मेहनत से बनाया है।

हमारे यहाँ जो दूसरी बड़ी कमी है वह है बन्धुता यानी भाइचारे के सिद्धान्त को स्वीकार किये जाने की। बन्धुता का अर्थ क्या होता है? बन्धुता का अर्थ है सम्पूर्ण भारतवासियों को एक साझे भाईचारे की भावना– ऐसी भावना मानों भारतीय लोग एक जन ही हो। यही सिद्धान्त तो है जो सामाजिक जीवन को एकता और सुदृढ़ता प्रदान करता है। यह अत्यन्त कठिनाई से प्राप्त होने वाली चीज है, क्योंकि इस भावना को विकसित करना बहुत ही कठिन काम है।[9]

निःसन्देह संविधान के माध्यम से डॉ0 अंबेडकर ने न्याय को मानस जीवन के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक तीनों आयामों पर उतारने की कोशिश की। इन्हीं आयामों पर संविधान में विशिष्ट न्यायिक प्रावधान किये गये है। आज उन प्रावधानों को और भी अधिक शख्ती से लागू करने की जरूरत आन पड़ी है, ताकि समता मूलक समाज की स्थापना हो सके।

**सन्दर्भः**


1. कुमार अमरेन्द्र, ''भारतीय समाज में छूआछूत और डॉ0 अंबेडकर'', विमर्श, भाल्यूम–2, पटना, जनवरी 2006 पृ0–39
2. बी0आर0 अंबेडकर, मिस्टर गाँधी एण्ड दी एमन्शिपेशन ऑफ दी अन्टचेंबल्स, पृ0 13
3. के0एम0 मुंशी, पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, नई दिल्ली, 2013, (केन्द्रीय सभा वहस, भाग–7)
4. डबलू0एन0 कुबेर, आधुनिक भारत के निर्माता, भीमराव अंबेडकर, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 1981, पृ0 61–62
5. बही, पृ0 62–63
6. केन्द्रीय सभा वहस, भाग – 7
7. के0एम0 मुंशी, पूर्वोद्धत
8. सुभाष चन्द्र (सम्पादक), अंबेडकर से दोस्ती : समता और मुक्ति, दिल्ली, 2007, पृ0 34
9. वही, पृ0 – 36